

4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-57/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० ब्रज नन्दन भारती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल, सुपौल के दिनांक-19.04.2019 से 31.08.2019 तक वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1519(25), दिनांक-21.07.2025 द्वारा निर्गत अवकाश आदेयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 एवं 234 के आलोक में निम्नरूप में स्वीकृत किया जाता है:-

(i)	दिनांक-19.04.2019 से 08.05.2019 तक	-	कुल-20 (बीस) दिन रुपांतरित (कुल-40 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के बंदले) अवकाश के रूप में।
(ii)	दिनांक-09.05.2019 से 13.08.2019 तक	-	कुल-97 (संतानवे) दिन उपार्जित अवकाश के रूप में।
(iii)	दिनांक-14.08.2019 से 31.08.2019 तक	-	कुल-18 (अठारह) दिन असाधारण अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल०-57/2025- 1569(2) पटना, दिनांक 14/7/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल/अधीक्षक, सदर अस्पताल, सुपौल/कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/डा० ब्रज नन्दन भारती, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. N. K. 8/7/26
सरकार के उप सचिव